(7)

बिहार सरकार

लोक स्वा0 अभियन्त्रण विभाग

अधिसूचना

अधिसूचना संख्या-6/वि03-102/04 5521 दि0 26.10.04

मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग , तकनीकी परीक्षक कोषांग के पत्रांक -254 दि0 24-02-86 द्वारा निर्गत संकल्प की कंडिका -6 (क) में अन्तर्निहित अनुदेश के आलोक में सरकार के निर्णयानुसार विभागीय निविदा समिति का गठन निम्न प्रकार किया जाता है -

1) आयुक्त एवं सचिव/ सचिव , लो0स्वा0अभि0विभाग, अध्यक्ष
2) अभियन्ता प्रमुख सह विशेष सचिव, लो0स्वा0अभि0विभाग सदस्य
3) आन्तरिक वित्तीय सलाहकार लो0स्वा0अभि0विभाग सदस्य
4) मुख्य अभियन्ता (नागरिक) लो0स्वा0अभि0विभाग सदस्य
5) सबंधित मुख्य अभियन्ता लो0स्वा0अभि0विभाग सदस्य

2) उन सभी निर्माण कार्यो की निविदाओं ,जिनकी लागत एक करोड़ रुपये से अधिक हो ,का निष्पादन निविदा समिति द्वारा की जायेगी।

3) वैसी सभी निविदायें , जो सामान्यतः मुख्य अभियन्ता को प्रदत्त शक्ति के अन्तर्गत आती है , किन्तु जिनमें अनुमान्य शर्तों का पूर्ण निर्वहन नहीं हुआ हो , का निस्तार भी उक्त निविदा समिति की अनुशंसा पर किया जायेगा ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(अरुण कुमार सिंह)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक - 5522 दिनांक :- 26.10.04

प्रतिलिपि अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय , गुलजारबाग पटना -7 को सूचनार्थ एवं राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

(अरुण कुमार सिंह)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक -- 5522 दिनांक - 26.10.04

प्रतिलिपि मंत्री/ राज्य मंत्री के आप्त सचिव, सचिव के सचिव, अभियन्ता प्रमुख सह विशेष सचिव,आन्तरिक वित्तीय सलाहकार मुख्य अभियन्ता नागरिक, लो0स्वा0अभियन्त्रण विभाग, मुख्यालय के सभी पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

(अरुण कुमार सिंह)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक -- 5522 दिनांक - 26.10.04

प्रतिलिपि सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता , सभी अधीक्षण अभियन्ता , सभी कार्यपालक अभियन्ता लो0 स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग बिहार , को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

(अरुण कुमार सिंह)
सरकार के सचिव